राजस्थान राज्य सूचना आयोग

झालाना लिंक रोड, ओ.टी.एस. चौराहा ,जवाहर लाल नेहरू मार्ग, जयपुर

**अपील संख्या: - 11301/2017**

| **अपीलार्थी** | **बनाम** | **प्रत्यर्थी** |
|---|---|---|
| निर्मल कुमार<br>यूनिट नं. 90, ब्लॉक-के. नारायण विहार, असरपुरा, अजमेर रोड जयपुर , राजस्थान | | राज्य लोक सूचना अधिकारी एवं रजिस्ट्रार<br>राजस्थान पैरा मेडिकल कांउसिल, राजस्थान सरकार जयपुर |

**द्वितीय अपील अन्तर्गत धारा 19(3) सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005**

**निर्णय**

**दिनांक : 05-03-2018**

1. अपीलार्थी अनुपस्थित।
2. प्रत्यर्थी पक्ष से श्री राजेश मुथा, अधिवक्ता, उपस्थित।
3. मैंने प्रत्यर्थी पक्ष को सुना एवं पत्रावली का विशद परिशीलन किया।
4. अपीलार्थी के आवेदन दिनांक 3-10-16 के द्वारा विगत वर्ष में मेडिकल कोर्स हेतु जिन संस्थानों ने फाइल प्रस्तुत की उन संस्थानों का नाम, पता मय फोन नम्बर, पत्रावली की नोटशीट की प्रति, आदि 2 बिन्दुओं की सूचना नहीं मिलने एवं प्रथम अपीलीय निर्णय दिनांक 24-1-17 से असंतुष्ट रहने के आक्षेप पर हस्तगत अपील प्रस्तुत की गई है।
5. सुनवाई के दौरान प्रत्यर्थी ने निवेदन किया कि चाही गई सूचना तृतीय पक्ष से सम्बन्धित है एवं विस्तृत सूचना है। अतः अपीलार्थी को पत्र दिनांक 19-10-16 से संसूचित कर दिया गया था एवं उपरोक्त प्रेषित विनिश्चय 19-10-16 को दृष्टिगत रखते हुए प्रथम अपील भी निर्णय दिनांक 24-1-17 से खारिज कर दी गई।
6. प्रत्यर्थी ने आयोग के नोटिस के संदर्भ में अपीलोत्तर दिनांक 7-2-18 मय संलग्नक प्रेषित किया है, प्रति अपीलार्थी को भी प्रेषित की है। अंकित किया है कि अपीलार्थी को दिनांक 19-10-16 को विनिश्चय प्रेषित कर दिया गया था पुनः पत्र दिनांक 28-11-16 से विनिश्चय प्रेषित कर दिया गया है।
7. पत्रावली पर उपलब्ध अभिलेखादि से स्पष्ट है कि अपीलार्थी द्वारा चाही गई सूचना परपक्षीय सूचना है जो कि सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 की धारा 8(1)(जे) सपठित धारा 11 के अनुक्रम में अदेय है। अतः प्रत्यर्थी द्वारा प्रेषित विनिश्चय एवं प्रथम अपीलीय निर्णय विधिसंगत है। अतः अपीलार्थी की अपील बलहीन है। अपील में अब कोई कार्यवाही अपेक्षित नहीं होने के कारण अपील का खारिज किया जाना समीचीन है।
8. अस्तु, वर्तमान अपील खारिज की जाती है।
9. निर्णय की प्रति उभय पक्ष को प्रेषित हो।
10. निर्णय घोषित।

**(सुरेश चौधरी)**
**मुख्य सूचना आयुक्त**